भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 151

02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना

151. श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार ने हाल ही में देश में विशिष्टतायुक्त इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के तहत किसी निधि को मंजूरी दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि अनुमोदित की गई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप संघ सरकार द्वारा निवेश की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात क्षेत्र में नए रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएलआई योजना में शामिल किए गए विशिष्टतायुक्त इस्पात की श्रेणियों का ब्यौरा क्या है और इससे किस हद तक इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात में कमी आएगी?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) से (घ): 'विशेष इस्पात' हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक वितरित करने के लिए 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत 'विशेष इस्पात' के उत्पादन के लिए अनुमानित घरेलू क्षमता आधार वर्ष 2019-20 के दौरान 17.624 एमटी की तुलना में 42.254 मिलियन टन (एमटी) है और परिणामस्वरूप आयात आधार वर्ष में 3.758 एमटी की तुलना में कम होकर 0.936 एमटी हो गया है। इस योजना में लगभग 39,625 करोड़ रुपये के निवेश, आधार वर्ष की तुलना में आयात में लगभग 17,000 करोड़ रुपये की कमी की परिकल्पना की गई है। इस योजना से लगभग 5,25,000 रोजगार सृजन संभावित है, जिसमें से लगभग 68,000 प्रत्यक्ष और शेष सभी अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे। पीएलआई योजना के तहत शामिल उत्पाद श्रेणियाँ हैं (i) लेपित/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, (ii) उच्च क्षमता/घिसाव प्रतिरोधी इस्पात, (iii) स्पेशियलटी रेल्स, (iv) अलॉय इस्पात उत्पाद एवं स्टील वायर, और (v) वैद्युत इस्पात।

****